न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र 88/20 (2020/00319)

कृष्णवल्लभ पुत्र रतनलाल जाति पुरोहित निवासी ब्रम्हपुरी मोहल्ला ,सावर तहसील सावर जिला अजमेर राज.

---प्रार्थी

बनाम

रमेश पुत्र भूरा जाति ब्राह्मण निवासी ब्रम्हपुरी मोहल्ला ,सावर तहसील सावर जिला अजमेर राज.

--- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

श्री नवल किशोर पारीक अधिवक्ता– प्रार्थी
श्री हेमन्त जैन अधिवक्ता – अप्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक 27.10.2021

पत्रावली पेश हुई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सावर तहसील सावर की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता स. नया पुराना 1812–1765 के खसरा नम्बर 6561/1684 रकबा 0.14 है. किस्म बारानी 1 मेरी स्वंय की खातेदारी की आराजी है। इस आराजी में पहुँच के प्रयोजन के लिये खसरा नम्बर 1683/0.20 है. मेंसे नया मार्ग खोलने का आशय रखता हुँ। प्रार्थी को उक्त मार्ग की अत्यधिक आवश्यकता है एंव वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध नहीं है। प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया ।

तहसीलदार सावर से रिपोर्ट मंगवायी गयी, प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक न्याय/रीडर/2021/69 दिनांक 11.1.2021 से प्रस्तुत की गई। पक्षकारान की उपस्थिति में मौका देखा गया । रिपोर्ट गिरदावर सावर एवं पटवारी हल्का सावर के अनुसार ग्राम सावर के खसरा नम्बर 6561/1684 सावर से पण्डेर डामर सडक से लगवा आराजी खसरा नम्बर 1683 के पूर्व में स्थित है उक्त आराजी में जाने हेतु आराजी खसरा नम्बर 1683 में होकर लगभग 20 फीट चौडा रास्ता बना हुआ है। आराजी खसरा नम्बर 1683 के खातेदार रमेश पुत्र भूरा जाति ब्राह्मण ने अपनी आराजी में से रास्ता देने के लिये मना किया । आराजी खसरा नम्बर 6561/1684 में पहुंचने हेतु आराजी खसरा नम्बर 1683 में से 20 X 5 = 100 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता पडेगीं। प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के खेत से गुजरने वाले कटानी रास्ते के पास पडता है प्रार्थी अपने खेत में प्रस्तावित खसरा नम्बर 1683 में से होकर आ जा रहा है। अतः प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। पक्षकार प्रतिकर रकम या जमन के बदले [illegible] देने में सहमत नहीं है। डी.एल.सी. द्वारा तय की गई मिल्कियत के अनुसार [illegible] डी.एल.सी. 600802/– रूपये के अनुसार 0.01 है. की राशि 6008/– रूपये से दुगनी [illegible] 12016/–रूपये बनती है। मार्ग में कोई पेड व अन्य निर्माण हटाने के लिये नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:20:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हेमन्त जैन ने वकालतनामा पेश किया । तथा जवाब
प्रस्तुत किया । जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थी ने अवगत कराया कि अप्रार्थी की आराजी
1683/0.20 है. में से होकर प्रार्थी को कभी भी रास्ता नहीं रहा है, न ही है। अतः इसमें नया
मार्ग खोले जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी पुराना गंधेर मार्ग खसरा नम्बर 1685,
1686, 1690 व 1691 में से होकर अपने खेत में कदीम से आता जाता है तथा वह ही प्रार्थी के
खेत में आने जाने का रास्ता है। कुशायता पण्डेर रोड मार्ग का विस्तार होने की संभावना है तथा
इस कारण प्रार्थी जबरन अप्रार्थी की जमीन पर जो कि कुल जमीन ही एक–सवा बीघा है पर
अवैध रूप से रास्ता बनाना चाहता है। इसी अवैध मंशा से अवैध रूप से अप्रार्थी के खेत में रात्रि
के समय में मिटटी, पत्थर इत्यादि डलवाकर कर उक्त रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया । प्रार्थी
अपने खेतों में खसरा नम्बर 1685, 1686, 1690, 1691 के मध्य से आता जाता रहा है तथा वह
ही उसके खेतो में आने जाने का कदीमी रास्ता है। जिस तथ्य को छिपाते हुये प्रार्थी ने यह
प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी का जवाब प्रस्तुत होने व मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा
मौका जांच रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने का
निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने आपत्ति पत्र में बताया कि तहसीलदार सावर द्वारा स्वयं मौका
नहीं देखा है साथ ही साथ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर केवल मात्र अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर
1683 जिसका कुल रकबा ही 0.20 है. ही है में से रास्ता दिलाने की नियत से तैयार की गई है।

तहसीलदार महोदय को मौखिक रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया था
कि किशन पारीक पुत्र रतनलाल व रामगोपाल शर्मा दोनो ही व्यक्तियों के खेतो के आने–जाने
का पीढीयों से पुराने गंधेर रोड पर से था। किशनलाल पुत्र रतनलाल ने दिवार बनाकर
जानबुझकर अप्रार्थी के खेत से नया मार्ग निकालना चाहा है तथा इसी प्रकार अप्रार्थी व
जयनारायण व्यास के खेतो के बीच कच्ची डागर भी थी। जिस पर अतिक्रमण कर लिया गया है।
अतः रास्ते के सबंध में मौका स्थिति देखी जाते समय जयनारायण व्यास की खेत की स्थिति
देखी जाये , किशन पारीक के खेत की स्थिति भी देखी जायें। पुराना गंधेर मार्ग से जो किशन
पारीक का खेत है उसकी स्थिति देखी जाये किन्तु पटवारी हल्का द्वारा इस पर कोई विचार नहीं
किया गया न ही मौका देखा गया । यह सही है कि धारा 251 ए काश्तकारो के रास्तें के
उपचारो के लिये बनी है किन्तु इसका मतलब यह नही है कि किसी व्यक्ति विशेष को ही रास्ता
दिये जाने के लिये बाध्य किया जाये तथा किसी व्यक्ति विशेष के खेत से जानबुझकर रास्ता नहीं
लिया जायें। प्रकरण में जब प्रार्थी के खेतो में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 1685, 1686, तथा
1690,1691 के मध्य से रास्ता था तथा वह रास्ता कदीमी था तो इस दशा मे इन खसरा नम्बरान
का मौका देखा जाना न्यायोचित है। प्रार्थी की और से यह प्रार्थना पत्र सदभाविक रूप से प्रस्तुत
है जिसमें उसकी कोई गलत मंशा नहीं है। अतः मौका रिपोर्ट पर आपत्ति रिकॉर्ड पर ली जाकर
पुनः मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

मोका रिपोर्ट की आपत्ति पर पक्षकारान के अभिभाषक की बहस सुनी गई। अप्रार्थी की
प्रार्थना बाबत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति स्वीकार की जाती है । तहसीलदार सावर से अन्य
वैकल्पिक रास्ते को दृष्टिगत रखते हुये पुनः मौका रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार सावर द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट उनके पत्रांक भू.अ./2021/1825 दिनांक
25.10.2021 से प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार ग्राम सावर के खसरा नम्बर 6561/1684 रकबा
0.14 है. पर आने जाने के लिये ख.न. 1683 रकबा 0.20 है. मेड के पास से आते–जाते है मोके
खसरा नम्बर 1683 की मेड के पास रास्ता बना हुआ है । जो चालू है एंव आने जाने के काम में
आ रहा है। प्रार्थी उसी को आने –जाने के काम [illegible] है। यह रास्ता सबसे निकटतम दूरी
का रास्ता है। इसी रास्ते से आने [illegible] इसके अलावा निकटतम रास्ता दूसरा
रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत पर कृषि [illegible] के लिये जाना आवश्यक है
कृषि कार्य के लिये खेत पर जाना अत्यन्त आवश्यक है एवं रास्ता दिया जाना आवश्यक एवं
उचित है। पक्षकार प्रतिकर व जमीन के बदले जमीन देने पर रजामंद नहीं है। प्रार्थी के खेत

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:20:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तक रास्ता दर्ज करने पर 19 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 76 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है । डी.एल.सी दर 80080 x 2 x 0.01 = 6008 रूपये की दुगनी राशि 12016/– रूपये बनती है। लाल स्याही से खसरा नम्बर 1683 में प्रस्तावित रास्ता है। तहसीलदार सावर द्वारा पुनः प्रस्तुत रिपोर्ट के ग्राम सावर के खसरा नम्बर 6561/1684 रकबा 0.14 है. पर आने जाने के लिये रास्ता चाहा गया है जिसका मौका एवं रिकॉर्ड के अनुसार सावर–कुशायता सडक से खसरा नम्बर 1683 में होर रास्ता दिये जाने पर रास्ते की लम्बाई 19 मीटर आती है।अतः उक्त खसरा नम्बर में आने हेतु पीछे से रास्ता दिया जाता है तो इसकी लम्बाई 90 मीटर आती है एवं उक्त खसरा नम्बर 1685 के कोने में खसरा नम्बर 1686 गैर मुमकिन चाह खुदा हुआ है जिससे रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त विचाराधीन प्रकरण में रास्ता खसरा नम्बर 1683 मे से होकर दिया जाना उचित है क्योकि इसकी दूरी पीछे वाले रास्ते से बहुत कम है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया तथा निवेदन किया कि स्वयं की खातेदारी के खसरा नम्बर 6561/1684 रकबा 0.14 है. में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 1683 रकबा 0.20 है. में से रास्ता दिया जायें प्रार्थी प्रतिकर राशि देने को तैयार है। अप्रार्थी के लायक वकील ने विर्तक प्रस्तुत करते हुये बताया कि प्रार्थी की आराजी में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 1685,1686 तथा 1690,1691 के मध्य से रास्ता था तथा वह रास्ता कदीमी था। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। तहसीलदार सावर द्वारा पुनः प्रस्तुत रिपोर्ट के ग्राम सावर के खसरा नम्बर 6561/1684 रकबा 0.14 है. पर आने जाने के लिये रास्ता चाहा गया है जिसका मौका एवं रिकॉर्ड के अनुसार सावर–कुशायता सडक से खसरा नम्बर 1683 में होर रास्ता दिये जाने पर रास्ते की लम्बाई 19 मीटर आती है।अतः उक्त खसरा नम्बर में आने हेतु पीछे से रास्ता दिया जाता है तो इसकी लम्बाई 90 मीटर आती है एवं उक्त खसरा नम्बर 1685 के कोने में खसरा नम्बर 1686 गैर मुमकिन चाह खुदा हुआ है जिससे रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। अतः न्यायालय खसरा नम्बर 1683 में से रास्ता दिया जाना उचित समझता है। क्योंकि इससे 19 मीटर की लम्बाई में ही रास्ता रहेगा। जबकि खसरा नम्बर 1685 में 90 मीटर लम्बाई में रास्ता उपलब्ध कराना पडेगा।तहसीलदार सावर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता चाहने का उचित होने से स्वीकार किया जाता है।

ग्राम सावर के ख.न. 1683 रकबा 0.20 है. मेड के पास से आते–जाते है मोके खसरा नम्बर 1683 की मेड के पास रास्ता बना हुआ है। जो चालू है एंव आने जाने के काम में आ रहा है। प्रार्थी उसी को आने–जाने के काम मे ले रहा है। यह रास्ता सबसे निकटतम दूरी का रास्ता है। इसी रास्ते से आने जाने में आसानी रहेगीं। इसके अलावा निकटतम रास्ता दूसरा रास्ता नहीं प्रार्थी को अपने खेत पर कृषि जोत पर कार्य करने के लिये जाना आवश्यक है एवं कृषि कार्य के लिये खेत पर जाना अत्यन्त आवश्यक है एवं रास्ता दिया जाना आवश्यक एवं उचित है। पक्षकार प्रतिकर व जमीन के बदले जमीन देने पर रजामंद नहीं है। प्रार्थी के खेत तक रास्ता दर्ज करने पर 19 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 76 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है।डी. एल.सी दर 80080 x 2 x 0.01 = 6008 रूपये की दुगनी राशि 12016/–रूपये बनती है। लाल स्याही से खसरा नम्बर 1683 में प्रस्तावित रास्ता ... अतः उक्त रास्ता लघुतम होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर ... उक्त रास्ते की भूमि को राजस्व गैर मुमकिन आम रास्ते के रूप में दर्ज कर नक्शा ... तरमीम करें। प्रार्थी से प्रतिकर की राशि वसूल कर अप्रार्थी को भुगतान की जावें।खर्चा फरि... अपना–अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी,(अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:20:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner